तत्काल/प्राथमिकता

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव

अर्द्धशा0प0सं0 1820/सैतीस–1–2014
उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन एवं मत्स्य विभाग।
लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2014

प्रिय महोदय,

शासनादेश संख्या–2913/37–1–2013–2(6)/2013, दिनांक 27 अगस्त 2013 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त 1998 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन करने हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है। शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अपर निदेशक ग्रेड–2 (नियुक्ति प्राधिकारी) की भर्ती की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2013 के पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित विज्ञापन भी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। उक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 02 फरवरी 2014 को कराया जाना प्रस्तावित/निर्धारित है। जिसके लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सहयोग प्रदान करने के लिये निदेशक पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–46/स्था0–2 दिनांक 2.01.2014 द्वारा आपसे अनुरोध किया जा चुका है। इस संबंध में पुनः निम्न बिन्दुओं पर आपके स्तर से प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

1. उक्त परीक्षा हेतु तैयार किये जाने वाले प्रश्न पत्रों को डबल लॉक में रखने के संबंध में मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को दिशा–निर्देश निर्गत करना।
2. लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिशा निर्देश निर्गत करना।
3. लिखित परीक्षा के सफल संचालन हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करते हुये उनके द्वारा प्रश्न पुस्तिकाओं/उत्तर पुस्तिकाओं को अपनी सुरक्षा में निर्धारित परीक्षा केन्द्र तक ले जाना तथा परीक्षा उपरान्त अप्रयुक्त एवं प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0 सीट) को सील बन्द कराते हुये सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः डबल लॉक में रखवाया जाना है।
4. शान्ति पूर्ण परीक्षा के संचालन कराने हेतु पुलिस फोर्स की व्यवस्था किये जाने के संबंध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक को निर्देशित किया जाना।
5. लिखित परीक्षा उपरान्त आप द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग की संयुक्त उपस्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0 सीट) की स्कैनिंग के माध्यम से मूल्यांकन/जॉच की कार्यवाही सम्बन्धी दिशा निर्देश

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर से मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी करने एवं लिखित परीक्षा के सफल संचालन हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार)

जिलाधिकारी

प्रतिलिपि समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक–II (सहारनपुर/अलीगढ़ मण्डल को छोड कर) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव